[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 08/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. .....(अ) . – केंद्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 2020 के खंड 139 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवृत विधि, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के भीतर आने वाले और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के माल को वित्त विधेयक के उक्त खंड के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण स्वास्थ्य उपकर से छूट प्रदान करती है :

परंतु यह कि उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, इस अधिसूचना के अधीन छूट, इसमें उल्लिखित संबद्ध छूट अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्दिष्ट शर्त, यदि कोई है, के अधीन होगी।

सारणी

क्रम सं0	माल का विवरण
(1)	(2)
1	चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत–चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय के लिए उपयोग में आने वाले उन मालों से भिन्न, शीर्ष 9022 के अंतर्गत सभी माल।
2.	ऐसे सभी माल जिन पर छूट का दावा किया जाता है और निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अधीन मंजूर की जाती है, अर्थात् :- (i) अधिसूचना सं0 74/2005-सीमाशुल्क तारीख 22 जुलाई, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 499(अ) तारीख 22 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ; (ii) अधिसूचना सं0 10/2008-सीमाशुल्क तारीख 15 जनवरी, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 33(अ) तारीख 15 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी ; (iii) अधिसूचना सं0 152/2009-सीमाशुल्क तारीख 31 दिसम्बर, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 943(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी ; (iv) अधिसूचना सं0 46/2011-सीमाशुल्क तारीख 1 जून, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 423(अ). तारीख 1 जून, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ;

	(v) अधिसूचना सं0 53/2011-सीमाशुल्क तारीख 1 जुलाई, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 499(अ) तारीख 1 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ; (vi) अधिसूचना सं0 69/2011-सीमाशुल्क तारीख 29 जुलाई, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 593(अ) तारीख 29 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ;
3.	अधिसूचना सं0 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 785(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, से उपाबद्ध सारणी के क्र.सं. 216, क्र.सं. 216क, क्र.सं. 561, क्र.सं. 562, क्र.सं. 564, क्र.सं. 565, क्र.सं.566, क्र.सं.567, क्र.सं.568, क्र.सं.570, क्र.सं.571, क्र.सं.573, क्र.सं.574, क्र.सं.578, क्र.सं.578क, क्र.सं.580 और क्र.सं.581 के अधीन आने वाले सभी माल ।

[फा.सं. 334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार